न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 2022 / 322

विभागीय अपील द्वारा श्री सूरजकरण लढा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्रा0वि0अधि0), ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा विरूद्ध निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा के आदेश क्रमांक जिपभी / स्था0 / जांच–16 / 2013 / 4063 निर्णय दिनांक 25.04.2013 अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवां (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री सूरजकरण लढा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्रा0वि0अधि0), ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा

निर्णय

दिनांकः– 14.09.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा के आदेश दिनांक 25.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन संख्या जिपभी / स्था0 / जांच / 2007 / 1772 दिनांक 17.02. 2007 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द मे वार्ड पंच को भत्ता राशि रू 375 पंचायत कोष से दो बार आहरित किया जाकर रोकड बही मे दो बार दर्ज किया जाकर भुगतान एक ही बार किये जाने से पंचायत कोष से राशि रू. 375 / – को स्पष्ट गबन का आरोप है।

2. ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द मे ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापन के दौरान विभिन्न मस्ट्रोलो पर एक ही अवधि मे पृथक मस्ट्रोल मे नाम दर्ज किया जाकर राशि रू. 5189.75/– पंचायत कोष से आहरित करवा फर्जी भुगतान किया गया।
3. ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द मे ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापन के दौरान मस्ट्रोल नम्बर 11020 मे श्रमिको की फर्जी उपस्थिति दर्ज करा राजकीय राशि का गबन किया जाकर फर्जी भुगतान किया गया।
4. वर्ष 1998–99 मे व्यवस्थापक, गोपाल गोशाला ढोकलिया को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे निलामी से आवंटन किये जाने मे निर्धारित बाजार दर से कम दर पर पट्टा दिये जाने से पंचायत कोष को नुकसान दिया गया।
5. ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष 1997–98 मे करवाये गये विभिन्न कार्यो मे मस्ट्रोलो मे श्रमिको की हाजरी का योग अधिक लगाये जाने से राजकीय राशि रू. 640/– का अधिक भुगतान किया गया।
6. ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे निलामी से प्लाट आवंटन कियें जाने मे श्री भंवरलाल पिता श्री सिद्धकरण शर्मा निर्धारित बाजार दर से कम दर पर पट्टा दिये जाने से पंचायत कोष को नुकसान दिये जाने का आरोप है।
7. वर्ष 1997–98 मे ग्राम पंचायत के द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो मे कार्य मुल्यांकन से अधिक राशि व्यय की गई है।
8. ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष 1999–2000 मे विभिन्न मस्ट्रोलो मे करवाये गये कार्यो पर टास्क दर से अधिक राशि रू0 1861/– का भुगतान किया जाकर राजकीय कोष को हानि पहुचाई है।
9. वर्ष 1999–2000 मे मस्ट्रोल नं. 20782 मे श्रमिक श्री प्रहलाद कुमावत एवं श्री दुर्गा गुर्जर को कार्य पर उपस्थिति से अधिक भुगतान राशि रू. 400/– का किया है जो कि फर्जी हाजरी अंकित की जाकर भुगतान किये जाने एवं मस्ट्रोल नं. 13783 मे श्रमिक की उपस्थिति मे कांट छांट की जाकर राशि रू. 552/– का फर्जी भुगतान किया गया।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 18.7.2007 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पत्रांक

पसशा / जांच / 2009–10 / 75 दिनांक 30.07.2009 से प्रकरण मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे जांच अधिकारी अनुसार श्री सूरजकरण लढा पर आयात किये गये आरोप संख्या 1, 2, 8, व 9 को प्रमाणित माना गया है। आरोप सिद्व पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के उक्त दण्डादेश दिनांक 25.04.2013 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी श्री सूरजकरण लढा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्रा0वि0अधि0), ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द, पंचायत समिति शाहपुरा, को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील मे जांच अधिकारी द्वारा नही बुलाने / बिना सुने तथा जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा आवश्यक दस्तावेज की प्रतिया उपलब्ध नही कराये जाने का अंकन किया है जो असत्य है। अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2009 पर अपचारी द्वारा प्रतिलिपि प्राप्ति का अंकन किया है। जिला परिषद भीलवाडा द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया लेकिन श्री लढा अनुपस्थित रहे। विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पत्रांक पसशा / जांच / 2009–10 / 75 दिनांक 30.07.2009 से प्रकरण मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे जांच अधिकारी अनुसार श्री सूरजकरण लढा पर आयात किये गये आरोप संख्या 1, 2, 8, व 9 को प्रमाणित माना गया है। प्रकरण मे नियमानुसार जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.04.2013 के अनुमोदन अनुसार दण्डादेश जारी किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि जिला परिषद भीलवाडा जो आरोप पत्र 17.02.2007 जारी किया गया वह ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम की धारा 10 तथा नियम 28 के अनुरूप रिपोर्ट जारी

होने के तीन माह की अवधि मे पालना हेतु मुझे नियमानुसार नोटिस/मांग पत्र जारी नही किया जाकर 6 वर्ष पश्चात 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी कर दिया गया।मेरे पर प्रमाणित आरोप संख्या 01 के संबंध मे जब पुर्व मे वार्ड पंचो को वाउचर नम्बर 09 द्वारा भुगतान किया गया वहा प्राप्ति रसीद नही होने से अनपेड मानकर पुनः वाउचर नम्बर 14 द्वारा भुगतान हों गया। उक्त राशि 375 मय ब्याज 875 कुल राशि 1232 रसीद संख्या 21 दिनांक 16.01.2015 से जमा करा दी गई। आरोप संख्या 02 के संबंध मे पंचायत के सभी मस्ट्रोल मे नाम सरपंच द्वारा दर्ज किये गये है सरपंच ने स्वंय अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है उक्त वसुली राशि रू. 5189.75 मय ब्याज रसीद संख्या 20 दिनांक 16.01.2015 से सरपंच द्वारा जमा करा दी गई। आरोप संख्या 03, 04, 05, 06 व 07 को जिला परिषद के आदेश मे अपचारी पर प्रमाणित नही माना गया। आरोप संख्या 08 के संबंध मे वर्ष 1999–2000 मे विभिन्न मस्ट्रोलो मे करवाये गये कार्यो पर टास्क दर का निर्धारण तकनीकी अधिकारी, द्वारा किया जाकर, पंचायत समिति लेखाकार की जांच के पश्चात भुगतान आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा जारी किया गया उसी अनुसार पंचायत द्वारा भुगतान किया गया। अधिक भुगतान राशि रू. 1861 मय ब्याज सहित रसीद संख्या 20 दिनांक 16.01.2015 से सरपंच द्वारा जमा करा दी गई। आरोप संख्या 09 के संबंध मे मस्ट्रोल संख्या 20782 व 13783 का भुगतान पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पारित किया गया। अधिक भुगतान राशि रू 400 व 552 मय ब्याज सहित रसीद संख्या 20 दिनांक 16.01.2015 से सरपंच द्वारा जमा करा दी गई। अतः अपीलार्थी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा जारी आदेश क्रमांक जिपभी/स्था0/जांच–16/2013 /4063 निर्णय दिनांक 25.04.2013 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में वसूली योग्य राशि अपीलार्थी एवं सरपंच दोनों ही द्वारा जमा करा दी गई है तो अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से

दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोपों के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री सूरजकरण लढा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्रा0वि0अधि0), ग्राम पंचायत कनेछन खुर्द, पंचायत समिति शाहपुरा, की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25.04.2013 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर